हिन्दी रूपांतर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

अधिसूचना/दिशा-निर्देश

क्रमाँक-**343**/Confd./2020 बिलासपुर, दिनाँक - 16 मार्च, 2020

II-15-08/2004 (Pt.-B)

कोरोना वायरस (कोविड-19) जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, से लड़ने के लिए ठोस कार्यवाही किया जाना, समय की माँग है। रोग के फैलने की प्रकृति को ध्यान में रखकर, इसके विस्तार को रोकना सर्वोपरि है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उच्चतम न्यायालय द्वारा इस महामारी को नियंत्रित किये जाने हेतु 'क्या करना है और क्या नहीं' संबंधी विभिन्न दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, जागरूकता आवश्यक है और स्वच्छता एवं सफाई सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अन्य एहतियाती कदम उठाने के अलावा अदालतों के कामकाज के लिए उचित आचार-संहिता का विकास किया जाना है ताकि भीड़ के सामूहिक रूप से जमा होने के संभावनाओं से बचा जा सके। उक्त उल्लेखित परिस्थितयों में, इस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति एवं माननीय न्यायाधीशों द्वारा, अधीनस्थ न्यायालयों को अगले आदेश के जारी होने तक, पालनार्थ निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए जाते हैं:-

1. जब तक कि अपरिहार्य न हो, न्यायालय पक्षकारों की उपस्थिति पर जोर न दें। भीड़ की स्थिति को टालने हेतु, सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय पक्षकारों तथा आमजन के न्यायालय परिसर में प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु उपयुक्त उपाय करेंगे। थर्मल स्कैनर (स्पर्शरहित) जल्द से जल्द प्राप्त किये जाएँ, संचालकों को प्रशिक्षित किया जावे तथा मौजूदा प्रवेश-निकासी स्थलों (चैक पॉईन्ट्स) पर उन्हें उपयोग हेतु लगाया जाए। न्यायालय परिसरों में थर्मल स्कैनर्स की व्यवस्था करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश तत्काल संबंधित जिलाधीशों से आग्रह करेंगे। जहाँ तक संभव हो प्रत्येक न्यायालय परिसरों में एक ही प्रवेश स्थल सुनिश्चित किये जा सकते हैं।
2. अधिवक्ता भी अपने पक्षकारों को न्यायालय के निर्देश के बिना न्यायालय न जाने की सलाह दे सकते हैं।
3. जब तक वर्तमान स्थिति मौजूद है, जिन मामलों में पक्षकार अनुपस्थित पाये जाते हैं उनमें विपरीत/चूक (डिफॉल्ट) आदेश पारित न किये जाएँ।
4. स्थगन की माँग करने वाले पक्षकारों/अधिवक्ताओं तथा साक्षियों को समायोजित किया जाए।
5. दाण्डिक/आपराधिक मामलों में अभियुक्त के व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जावे।
6. प्रथम रिमाण्ड के अलावा, अभियुक्तों को मैजिस्ट्रीयल न्यायालयों/विशेष न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर जोर न दिया जाए।
7. साक्ष्य की रिकॉर्डिंग के प्रयोजनों के लिए विडियो कॉन्फेरेन्सिंग की सुविधा को अधिकतम उपयोग में लाया जाए।
8. इसी तरह, कारावास से विचाराधीन बंदियों (UTPs) को प्रस्तुत किये जाने के स्थान पर, विडियो कॉन्फेरेन्सिंग सुविधा का उपयोग का लाभ उठाया जाए।
9. हवालात (लॉक-अप) में अनावश्यक भीड़ पर अंकुश लगाया जाए तथा कारागार प्राधिकारियों से विमर्श कर सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा इस हेतु उपयुक्त कदम उठाये जाएँ।

क्रमशः..........2

10. अंतिम तर्क के मामलों में, यथासंभव लिखित बहस की न्यायालय में प्रस्तुती हेतु माँग की जाये तथा मौखिक तर्कों के लिए समय को कम किया जाए ।

11. सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि उनके संबंधित न्यायालय भवनों में आगन्तुकों के साथ-साथ कर्मचारीवृन्द हेतु प्रक्षालन (सेनेटाईजर) उपलब्ध हो, विशेषतः उन मैनिंग विन्डो (खिड़कियाँ) में जहाँ निरंतर लोक व्यवहार होता है । हॉऊसकीपिंग एजेंसी/स्टाफ को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा जाए कि अदालत परिसर में स्वच्छता का उच्चतम स्तर बनाए रखा जाए और कीटाणुनाशकों का नियमित आधार पर छिड़काव किया जाए।

12. प्रतिदिन की स्थिति का जायजा लेने और उचित उपचारात्मक कदम उठाने के लिए प्रत्येक जिला न्यायालय परिसर में एक विशेष टीम (वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों और वरिष्ठ लिपिकीय कर्मचारियों को मिलाकर) का गठन किया जावे ।

13. संबंधित जिला न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर सकते हैं कि न्यायालय परिसर/बार के कमरों में कोई भीड़ एकत्र न हो । बार यह भी सुनिश्चित करेगा कि वर्तमान स्थिति के बने रहने तक न्यायालय परिसर में प्रशिक्षु (इन्टर्न्स) का प्रवेश न हो ।

14. न्यायालय परिसर में किसी भी समारोह या किसी अन्य कार्यक्रम को आगामी आदेश तक आयोजित/संचालित करने की अनुमति नही दी जाए ।

15. सभी जिला न्यायालय परिसरों के प्रभारी न्यायाधीश, मध्यस्थता केन्द्र यह सुनिश्चित करेंगे कि मध्यस्थता की कार्यवाही केवल उन्हीं मामलों में की जाए जो अत्यावश्यक प्रकृति के हैं ।

16. जिला न्यायालय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि न्यायालय परिसर के भीतर संचालित सभी जलपान-गृहों (कैन्टीन) उचित रीति से स्वच्छ एवं कीटाणुरहित हों ।

17. संघ (बार) के सदस्यों तथा पक्षकारों के हित के लिए दिशा-निर्देश को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया द्वारा वृह्द तौर पर प्रचारित किया जाए ।

उच्च न्यायालय के आदेश से

सही/-

(नीलम चंद सांखला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमाँक-**344**/Confd./2020 बिलासपुर, दिनाँक -16 मार्च, 2020

II-15-08/2004 (Pt.-B)

1. उप रजिस्ट्रार-सह-प्रमुख निज सचिव, माननीय मुख्य न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
2. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
3. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।

क्रमशः..........**3**

4. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
5. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के० अग्रवाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
6. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री पी० सैम कोशी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
7. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय अग्रवाल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
8. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेन्द्र चन्द्र सिंह सामंत, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
9. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
10. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री राम प्रसन्न शर्मा, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
11. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद सिंह चन्देल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
12. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ प्रतीम साहू, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
13. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्री गौतम चौरड़िया, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
14. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती विमला सिंह कपूर, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
15. निज सचिव, माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती रजनी दुबे, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर, माननीय की जानकारी हेतु ।
16. निज सचिव, रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ ।
17. रजिस्ट्रार (सतर्कता/निरीक्षण एवं जाँच/न्यायिक/चयन एवं नियुक्ति प्रकोष्ठ), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।
18. निदेशक, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।
19. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन (कैपिटल कॉम्प्लेक्स), मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।
20. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह एवं जेल विभाग, महानदी भवन (कैपिटल कॉम्प्लेक्स), मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ। आप से अनुरोध है कि इस हेतु राज्य के समस्त जेल प्राधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी करें ।
21. एडिशनल रजिस्ट्रार (प्रशासन/जिला-स्थापना/न्यायिक), छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।
22. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी-सह-केन्द्रीय परियोजना समन्वयक, ई-कोर्ट मिशन प्रणाली परियोजना, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

क्रमशः..........4

23. सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

24. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद/बलौदा-बाजार/रामानुजगंज स्थान बलरामपुर/बेमेतरा/ जगदलपुर स्थान बस्तर/बिलासपुर/दंतेवाड़ा स्थान दक्षिण बस्तर/धमतरी/दुर्ग/जाँजगीर-चाम्पा/ जशपुरनगर स्थान जशपुर/कवर्धा स्थान कबीरधाम/कोण्डागाँव/कोरिया (बैकुण्ठपुर)/कोरबा/ महासमुंद/मुंगेली/रायगढ़/रायपुर/राजनांदगाँव/अंबिकापुर स्थान सरगुजा/सूरजपुर/उत्तर बस्तर (कांकेर) की ओर, इस परिपत्र को आपके नियंत्रण में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों में उनके सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रसारित करने के अनुरोध के साथ ।

25. प्रधान न्यायाधीश/प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश/द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश/ तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बिलासपुर/दुर्ग/रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

26. न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बलौदा-बाजार/धमतरी/जगदलपुर/जाँजगीर-चाम्पा/कवर्धा/ कांकेर/कोरबा/मनेन्द्रगढ़/महासमुंद/रायगढ़/राजनांदगाँव/सूरजपुर/सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

27. विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत जगदपलुर/बिलासपुर/दुर्ग/जशपुर/जाँजगीर-चाम्पा/कोरबा/रायगढ़/रायपुर/राजनांदगाँव /सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

28. संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग, पुराना मंत्रलाय परिसर के पास, रायपुर की ओर, इस परिपत्र को आपके नियंत्रण में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों में उनके सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रसारित करने के अनुरोध के साथ ।

29. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पुराना उच्च न्यायालय भवन, बिलासपुर की ओर, इस परिपत्र को आपके नियंत्रण में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों में उनके सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रसारित करने के अनुरोध के साथ ।

30. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ मध्यस्थता प्राधिकरण, शहीद वीर नारायण सिंह भवन, नगर घड़ी चौक, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

31. पीठासीन अधिकारी, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, शासकीय भवन, महानदी खण्ड, कक्ष क्रमाँक-12, 13, 21 व 22, पुराना मंत्रालय परिसर, मजार के सामने, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

32. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद परितोषण आयोग, नये बस स्टैण्ड के पीछे (पुराना बस डिपो क्रमाँक-1), पण्डरी, रायपुर की ओर, इस परिपत्र को आपके नियंत्रण में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों में उनके सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रसारित करने के अनुरोध के साथ ।

33. राज्यपाल के विधिक सलाहकार, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

34. विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, गाँधी चौक के पास, (पुराना मलेरिया कार्यालय), रायपुर की ओर, इस परिपत्र को आपके नियंत्रण में कार्यरत् न्यायिक अधिकारियों में उनके सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रसारित करने के अनुरोध के साथ ।

35. पीठासीन अधिकारी, वक्फ अधिकरण, मकान क्रमाँक-252-253, प्रथम तल, सेक्टर-5, देवेन्द्र नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

क्रमशः..........5

36. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण, लुथरा चिकित्सालय के सामने, मुंगेली नाका, की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

37. अध्यक्ष/सचिव, जिला अधिवक्ता संघ, बालोद/बलौदा–बाजार/रामानुजगंज स्थान बलरामपुर/बेमेतरा/जगदलपुर स्थान बस्तर/बिलासपुर/दंतेवाड़ा स्थान दक्षिण बस्तर/धमतरी/दुर्ग/जाँजगीर–चाम्पा/जशपुरनगर स्थान जशपुर/कवर्धा स्थान कबीरधाम/कोण्डागाँव/कोरिया (बैकुण्ठपुर)/कोरबा/महासमुंद/मुंगेली/ रायगढ़/रायपुर/राजनांदगाँव/अंबिकापुर स्थान सरगुजा/सूरजपुर/उत्तर बस्तर (कांकेर) की ओर सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ ।

सही/–
नीलम चंद सांखला
(रजिस्ट्रार जनरल)